

1/150901/2023

3984

16/9/23

16/9/23

ई पत्रावली संख्या-33519

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

CE(P)/AAO

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून:

दिनांक

9 सितम्बर
अगस्त, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र- टिहरी में विभिन्न 15 निर्माण कार्यों (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 15 आगणनों, जिनमें मार्गों की कुल लम्बाई 47.95 किमी एवं लागत ₹606.76 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त, भूमि अध्याप्ति की धनराशि हटाकर, औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹68.18 लाख (रूपये अड़सठ लाख अठारह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 15 कार्यों हेतु कुल ₹ 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत गुनोगी के एरवाणी नामें लोक से कुमाईखेत तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.00	7.50	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत स्यूटा-नारगी-वसाल मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से ग्राम सभा भण्डार गांव (मियांगांव) तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2.00	3.00	0.10

KE(P)1

19.9.23

2023

3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत नैर (उनियालगांव, सकलाना) से पुजाल्डी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.00	7.50	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी में पालकोट चौण्ड, जसपुर मोटर मार्ग से चीण्ड से बगडवालधार होकर अनु0 बस्ती सिंगोली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	4.00	6.00	0.10
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी में टिपरी रौडधार मोटर मार्ग के स्थान लामडीधार से जेलम होकर अनु0 बस्ती ओडू के डांग तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3.00	4.50	0.10
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी में मोलखाली चक से प्राचीन मंदिर हुणकोट तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3.00	4.50	0.10
7.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी में पाली से चौरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3.00	4.50	0.10
8.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी में अंजनीसैण बैसोली कपरियाणीसैण मोटर मार्ग के स्थान पुनाणू से अनु0 बस्ती रीठी तोल गेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3.00	4.50	0.10
9.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत पीपलडाली स्वाडी मोटर मार्ग के गडोलिया स्वाडी मोटर मार्ग के गडोलिया से बेसिक कन्या पाठशाला तक मार्ग निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3.00	4.50	0.10
10.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत चाह से अनु0 बस्ती तैलसारी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2.50	3.75	0.10
11.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत पौखाल डिग्री कालेज से शहीद प्रकाश चन्द कुमाई के गांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3.00	4.50	0.10
12.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल	2.50	3.75	0.10

/2023

	के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत कोश काण्डी मोटर मार्ग के लबोईगांव के चोपड़ा नामे तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।			
13.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी में टिपरी रौड़धार मोटर मार्ग से राजकीय इण्टर कालेज अंजनीसैण तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3.00	4.50	0.10
14.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत पालकोट चौण्ड जसपुर मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य (प्रथम चरण)।	2.95	0.68	0.10
15.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के अन्तर्गत जाखणीधार कोटी गराकोट मोटर मार्ग के स्थान छेटी से टिपरी होकर नवाकोट तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3.00	4.50	0.10
	कुल योग:-	47.95	68.18	1.50

(रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)19-190(PWD)01टी.सी.II दिनांक 05.02.2020 एवं शासनादेश संख्या-1403/III(2)/21-8(सामान्य)2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्यों पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

1/2023

- vi. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- vii. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रेक्च्योरमेन्ट रूल्स 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- viii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ix. उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- xii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xiii. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer, PWD में किया जा रहा है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 की कम्प्यूटरजनित संख्या- 1/149261/2023 दिनांक 24 अगस्त, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 31-08-2023 15:13:21

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

- (श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/150901/2023

अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23090220002

आवंटन पत्र दिनांक-01-SEP-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

337-सड़क निर्माण कार्य

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-

800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-वृहद निर्माण				4470000		150000		0		4620000		
योग				4470000		150000		0		4620000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,50,000 (Rupees One Lac Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

hone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwwd@nic.in



पत्रांक-1099 / 20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक- 26.09.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता 8 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी
- अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून